दिनांक 22–23 मई, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

---

1. उपस्थितिः–संलग्न।

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति में इसकी सूचना पूर्व में निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का वेतन संबंधित तिथि को अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

2. स्थापना :–

(i) विधान सभा द्वारा परिचारित तारांकित प्रश्न के आलोक में SC/ST पदाधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित सूची सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगी गयी थी परंतु अभी तक कुछ ही जिलों से आंशिक रूप से उक्त सूची प्राप्त हुई है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है। निदेश दिया गया कि उक्त सूची अगले माह के 7वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों जिनका ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. लंबित है की सूची शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास की मांग की गयी थी। परंतु विहित प्रपत्र में उक्त सूचना अधिकांश कार्यालयों से लंबित है। निदेशालय के स्थापना शाखा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अगली माह के 8वीं तारीख तक सभी पदाधिकारियां एवं कर्मचारियों का सेवा इतिहास निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

3. बजट :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्षवार आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय एवं प्रत्यार्पण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) उपशीर्ष, जिसके अन्तर्गत वेतनादि का भुगतान किया जाता है, में बहुत जिलों के द्वारा वेतनादि के अलावे यात्रा भत्ता, वाहन इंधन एवं कार्यालय व्यय मद में काफी राशि प्रत्यार्पित कर दी गई, जबकि कई जिलों में राशि के अभाव में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन शीर्षों के अन्तगर्त आवंटित राशि के नियमित व्यय/समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगें, खासकर कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा